

**कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़**

Phone No. 0771-2263708, Fax No.-2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email-ctd.cg@nic.in

क्रमांक / 07 / पीएमटी-पीईटी / 2022-23 / स्टेनों / ०४

नवा रायपुर, दिनांक 26/08/2022

वर्ष 2022-23 में प्री0 इंजीनियरिंग एवं प्री0 मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने हेतु छ0ग0 के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रण हेतु तिथि वृद्धि की सूचना

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के कक्षा 12वीं उत्तीर्ण, 100 अभ्यर्थी (64 अनुसूचित जनजाति, 36 अनुसूचित जाति) जो झाप लेकर इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से दिनांक 26.08.2022 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए आवेदन करने हेतु तिथि में निम्नानुसार वृद्धि की जाती है :-

- (1) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि :-
(2) आवेदन जमा करने का स्थान :-

05.09.2022 सायं 4.00 बजे तक
संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा कर सकते हैं।

आवेदन पत्र एवं विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in से अवलोकन एवं डाउनलोड किया जा सकता है।

इस परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी यथा— पात्र अभ्यर्थी, परीक्षा केन्द्र, परीक्षा दिनांक, परीक्षा परिणाम आदि की सूचना विभाग की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों को पृथक से दी जावेगी।
(आयुक्त महोदया द्वारा अनुमोदित)


(जी०आर० मरकाम)

संयुक्त संचालक
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

**प्री० इंजीनियरिंग एवं प्री० मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने हेतु सामान्य
जानकारी वर्ष 2022-23**

- (1) **कोचिंग की अवधि** :- यह कोचिंग 01 वर्ष के लिए या प्रतियोगी परीक्षा के होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए होगा।
- (2) **कोचिंग का स्थान** :- ४०ग० राज्य के जिस जिले की कोचिंग संस्था का चयन होगा, उसी जिले में कोचिंग कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।
- (3) **निर्धारित सीटे** :- योजनांतर्गत 100 सीट निर्धारित है जिसमें अनुसूचित जनजाति हेतु-64 तथा अनुसूचित जाति हेतु-36।
- (4) **निवास तथा जाति संबंधी पात्रता** :-
- आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
 - आवेदक अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग से हो तथा स्थाई जाति प्रमाण पत्र धारक हो।
 - आवेदक भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग की सूची में सम्मिलित है अथवा नहीं, यह सिद्ध करने का दायित्व आवेदक का होगा। यदि इस संबंध में आवेदक द्वारा गलत विवरण प्रस्तुत किये जाने की दशा में उसे इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।
- (5) **शैक्षणिक योग्यता** :- गणित अथवा जीव विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12वीं में कम से कम 70% अंक या समतुल्य ग्रेड प्राप्त अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन प्राक्चयन परीक्षा में प्राप्त मेरिट अंक के आधार पर किया जायेगा।
- (6) **आय** :- आवेदक के अभिभावक/पालक का समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, इस संबंध में लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, साथ ही **स्वघोषणा** प्रमाण पत्र 10 रु. के नॉन ज्युडिशियल स्टॉप पेपर पर प्रस्तुत किया जाना होगा।
- (7) **कोचिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति** :- योजनांतर्गत विद्यार्थी को कोचिंग, आवास, भोजन, चिकित्सा, पुस्तक, प्रवेश शुल्क आदि निःशुल्क प्रदान किया जावेगा।
- (8) **प्राक्चयन परीक्षा का स्वरूप** :- प्राप्त आवेदन के परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थियों से वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय (Objective type) प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न-पत्र अधिकतम 02 घंटे का होगा, जिसमें कुल 120 प्रश्न पूछे जा सकेंगे।
- (9) **आवेदन जमा करना** :- अभ्यर्थी किसी भी जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
- (10) प्री० मेडिकल एवं प्री० इंजीनियरिंग परीक्षा की तैयारी ऑफलाईन अथवा ऑनलाईन के माध्यम से चयनित संस्था द्वारा शासन के निर्देशनानुसार ही किया जायेगा।
- (11) **आवेदन पत्रों का भरा जाना** :- आवेदक का कर्तव्य होगा कि वह आवेदन पत्र में चाही गई समस्त जानकारी सही-सही देवें एवं स्वयं के द्वारा संबंधित अभिलेख सत्यापित कर आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र की प्रविष्टि एवं अभिलेख अपूर्ण पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जायेगा।
- (12) **विस्तृत विवरण** :- योजना के संबंध में नियम निर्देश विभागीय वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in पर उपलब्ध है, जिसे अवलोकन किया जा सकता है।



(जी०आर० मरकाम)

संयुक्त संचालक

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

वर्ष 2022-23 में अभ्यर्थियों द्वारा प्री0 इंजीनियरिंग-प्री0 मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग
के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास,
जिला :— (छ0ग0)

—00—

1. नाम :
 2. पिता का नाम :
 3. माता का नाम :
 4. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :
 5. ईमेल का पता :
 6. फोन / मोबाईल नंबर :
 7. अभ्यर्थी का वर्ग (अनु.जा./अनु.ज.जा.) :
- (सक्षम अधिकारी का स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. अभ्यर्थी का 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष :
 9. कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम :
- (प्रतिशत में, बायो / गणित, बोर्ड परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
10. वर्तमान में कहाँ अध्ययनरत है :
 11. किस परीक्षा का कोचिंग करना चाहते हैं – प्री0इंजीनियरिंग / प्री0मेडिकल (टिक करें)
 12. पालक का व्यवसाय – : कृषि / शासकीय सेवा / प्राइवेट व्यवसाय / निजी
(टिक करें) संस्थान / मजदूरी / अन्य
 13. यदि शासकीय सेवा में है तो पद एवं विभाग का नाम :
 14. पालक की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय :
- (रूपये 10/- के स्टाम्प पेपर पर घोषणा प्रमाण पत्र देवें)

घोषणा पत्र

मैं..... घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी सही है। यदि दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर मेरा कोचिंग हेतु प्रवेश निरस्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

पालक का हस्ताक्षर

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर –

नाम

—

दिनांक

—

आय हेतु स्वघोषणा प्रमाण पत्र

(अभ्यर्थी द्वारा 10 रु. के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम पेपर पर प्रस्तुत किया जाए)

मैं पिता उम्र

जाति निवास ग्राम पो0आ0

तहसील.....जिला..... (छ0ग0)

शपथ पूर्वक स्वघोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की वार्षिक आय निम्नानुसार है :—

1. पिता शासकीय सेवक है तो वार्षिक आय
2. माता शासकीय सेवक है तो वार्षिक आय
3. पिता—माता कृषक है तो वार्षिक आय
4. अन्य स्त्रोतों से वार्षिक आय
5. कुल आय (1 से 4 तक का योग)

मैं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्री0इंजीनियरिंग एवं प्री0मेडिकल प्रवेश परीक्षा हेतु कोचिंग योजना वर्ष 2022–23 की तैयारी करने के लिए यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। इस हेतु मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय उपरोक्तानुसार है तथा मेरे द्वारा अर्जित आय आयकर की सीमा में नहीं आता है। यदि मेरी आय के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने एवं जांच पर सही पाये जाने पर शासन द्वारा नियमानुसार जो भी कार्यवाही की जायेगी, उसके लिए मैं स्वयं पूर्णतः सहमत हूँ।

पालक का हस्ताक्षर

आवेदक का हस्ताक्षर —

नाम —

दिनांक —